ISF LIMITED
CIN No.: L74899DL1988PLC076648
Regd. *Office:* *First Floor, Plot No-13, KH. No.33/7, Village Amberhai, Pole No. J967, Sector-19, Dwarka, Delhi- 110077*
Corporate Office: *A-96, Sector-65 Noida, Uttar Pradesh- 201301*
Phone: *0120-3226522, +91 9105535135*
E-Mail: info@isflimited.in
Website: www.isflimited.in

To, **Date 03.09.2024**
The Manager- Listing,
Bombay Stock Exchange of India Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip code: 526859

Subject: Newspaper advertisement titled Notice of the 36th Annual General Meeting of ISF Limited.

Ref: Intimation dated: 01.09.2024

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company is providing e-voting facility to the Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice convening the 36th Annual General Meeting (AGM), Pursuant to Rule 20 (3) (v) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015. The Company has published an advertisement in "Hari Bhoomi" (Hindi) newspaper dated 03rd September, 2024 about having completed dispatch of Annual Report, Notice of 36th AGM and other documents.

Pursuant to Regulation 47 (1) (d) read with Regulation 47 (3) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015; We are hereby enclosing a copy of the AGM Notice as published in the "Financial Express" (English) and "Hari Bhoomi" (Hindi) newspaper dated 03rd September, 2024.

Please take the same in your records.

For and on behalf of,
ISF Limited

MANISHA SAXENA
Digitally signed by MANISHA SAXENA
Date: 2024.09.03 11:03:01 +05'30'

Manisha Saxena
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: A71075

Encl:
1. Newspaper cutting

आंध्रप्रदेश, तेलंगाना में बरपा बाढ़ व बारिश का कहर

अब तक 22 काल कवलित, 86 ट्रेनें रद्द और 70 परिवर्तित

कारें पानी में तैर रहीं और रेल लाइन हवा में लटक रहीं

सड़कें व आवासीय कॉलोनियां जलमग्न

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

हिमाचल प्रदेश, असम और गुजरात के बाद बाढ़ व बारिश ने आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना में तबाही मचा दी है। दोनों राज्यों में वर्षाजन्य हादसों में कम से कम 22 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना में सड़कें और आवासीय कॉलोनियां जलमग्न हैं। कारें पानी में तैर रही हैं। ट्रेन की पटरियां हवा में लटक रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और हालात की जानकारी ली। केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है।

पटरी के नीचे की मिट्टी बही

तेलंगाना में भारी बारिश के कारण केसमुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। पटरी के नीचे की मिट्टी पानी में बह गई है। इस वजह से पटरी हवा में लटक गई है। रेलवे ने 86 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 70 अन्य ट्रेनों का मार्ग बदला है। रद्द की गई ट्रेनों में सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं।

हेलीकॉप्टर किए जाएंगे तैनात: पीएम

पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से फोन पर बातचीत की। पीएम ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में बाढ़ की स्थिति और इससे हुए नुकसान की जानकारी ली। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे।

सीएम रेड्डी ने बुलाई समीक्षा बैठक स्कूल बंद

तेलंगाना में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से खम्मम जिले में स्थित पलेयर जलाशय ओवरफ्लो हो गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और बाढ़ राहत कार्यों की स्थिति और भारी बारिश से हुए नुकसान पर समीक्षा बैठक की। भारी बारिश की चेतावनी के बाद हैदराबाद में सभी स्कूलों को बंद रखा गया है।

जयपुर में नूर बांध टूटा

कब्र से निकलीं लाशें और पानी में बहीं

जयपुर। जयपुर में नूर बांध टूट जाने से सैलाब आ गया है। जयपुर में रविवार देर रात तेज बारिश से खोनागोरियां थाना क्षेत्र में स्थित नूर बांध की दीवार टूट गई। इलाके में जलभराव की स्थिति हो गई। बांध की दीवार टूटने से सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे इलाके में अफरातफरी का माहौल हो गया। लोग अपने-अपने घरों के अंदर कैद हो गए। खोनागोरियां सहित कई इलाके बांध के पानी से जलमग्न हो गए हैं।

पांच शवों को सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया

बांध के पास स्थित कब्रिस्तान में भी बांध का पानी भर गया। तेजी से पानी की आवक के चलते तनिक भी संभलने का मौका नहीं मिला। कब्रिस्तान की कब्रों तक में पानी भर गया, जिससे कब्रों को काफी नुकसान पहुंचा। इस दौरान कब्रों से निकलकर शव पानी में बहने लगे। शवों को पानी में तैरता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पांच शवों को बाहर निकाला। उसे सुरक्षित स्थान पर रखवाया।

बांध की कराई जा रही मरम्मत

खोनागोरियां थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पानी में उतरकर रस्सों की सहायता से शवों को बाहर निकाला। फिलहाल नूर बांध के पास पानी के बहाव को देखते हुए पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। वहीं प्रशासन द्वारा बांध की मरम्मत के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

बंगाल सरकार को अदालतों से लगा बड़ा झटका, 'नबन्ना मार्च' में लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की अर्जी खारिज की

सायन की जमानत नहीं होगी रद्द हाईकोर्ट ने मांगा पेपर का विवरण

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली /कोलकाता

पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने सायन लाहिड़ी को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और जमानत रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इस महीने की शुरुआत में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के विरोध में यह रैली आयोजित की गई थी।

आज हाईकोर्ट में दस्तावेज पेश करे बंगाल सरकार

कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की हत्या के विरोध में 27 अगस्त को छात्रों की ओर से राज्य सचिवालय नबन्ना तक निकाले गए मार्च के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। गिरफ्तारी के दस्तावेज पेश करने को कहा है। कोर्ट ने चारों लोगों की गिरफ्तारी और उसके 24 घंटे के बाद रिहाई को लेकर सवाल उठाया। कोर्ट ने हिरासत में लेने के दौरान पुलिस ने तय प्रक्रिया का पालन किया था? न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने पूछा कि मार्च के 24 घंटे बाद उनको रिहा क्यों किया गया?

भाजपा ने सिलिगुड़ी-अलीपुरद्वार में प्रदर्शन किया, फंदा भी 'लगाया'

कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर लगातार 24वें दिन कोलकाता में राजनीतिक दलों और डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा ने भी सिलीगुड़ी और अलीपुरद्वार में विरोध में प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार में डीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और उन पर वाटर कैनन का उपयोग किया। महिलाएं फंदा लगाकर मौजूद थीं।

भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार मामले में हुई है। संदीप घोष से सीबीआई ने लगातार कई दिनों तक पूछताछ की। वह अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी मामले में एजेंसी के रडार पर हैं। पहले ही उनके और अन्य संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। सीबीआई यह जांच अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की शिकायतों के बाद कर रही है। उन्होंने घोष के प्रिंसिपल के रूप में कार्यकाल के दौरान लावारिस शवों की तस्करी, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई-भतीजावाद जैसे वित्तीय कदाचार के अन्य आरोप लगाए थे।

डैमेज कंट्रोल में सीएम ममता

महिलाओं और बच्चों के लिए बनेंगे सख्त कानून

कोलकाता में जघन्य अपराध से ममता सरकार की नींव हिल गई है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार व कोलकाता पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब ममता सरकार राज्य में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए अब नया कानून लाने जा रही है। मंगलवार को एक विशेष सत्र बुलाया है।

पुलिस आयुक्त के इस्तीफे पर अड़े जूनियर डॉक्टरों ने की रैली

सोमवार को जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस के सीपी विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर रैली शुरू की। भारी संख्या में छात्र कॉलेज स्क्वॉयर से धीरे-धीरे लाल बाजार (पुलिस मुख्यालय) की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने लाल बाजार को दुर्ग में तब्दील कर दिया।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान आज पूसा में

एग्रीश्योर फंड व कृषि निवेश पोर्टल करेंगे लांच, उत्कृष्टता सम्मान देंगे

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पूसा, नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। चौहान विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को उनके प्रयासों की सराहना करते हुए एआईएफ उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसमें राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राम नाथ ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। यह पुरस्कार समारोह अन्य बैंकों को भी अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा।

उत्तर रेलवे

इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई–प्रणाली के अंतर्गत मदों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण

टेंडर नोटिस सं. 47/2024-2025 दिनांक 02.09.2024

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली–110001 द्वारा इच्छुक फर्मों से निम्नलिखित मदों के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र.सं.	निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
01	19245042	सप्लाई, इंस्टालेशन एंड कमीशनिंग ऑफ वाटरलेस यूरिनल्स	100 नग	23.09.24
02	77249020 RGC	रनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर फिटिंग्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग	25000 सेट	30.09.24
03	77249019 RGC	रनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर चेक रेल असेंबली	20000 सेट	30.09.24
04	19241941	पी ओ एच मेंटनेंस किट	36 नग	30.09.24
05	07240447	सेट ऑफ साइड बफर असेंबली	51 नग	30.09.24
06	02241955	हाई कैपेसिटी इंटर वेहिकुलर कौपलेरस	115 सेट	04.11.24

निविदा शर्तें–1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानि www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2731/24

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

संजय कबलाना और सुनील सांगवान ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की

अब टोहना से भाजपा टिकट पाने की जुगत में जुटे बबली

जजपा कोटे से मंत्री रहे देवेंद्र बबली भाजपा में हुए शामिल, सैकड़ों समर्थक भी थे साथ

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

जननायक जनता पार्टी के कोटे से हरियाणा सरकार में मंत्री रहे देवेंद्र बबली सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। इसी मौके पर जजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कबलाना और पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान ने भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, हरियाणा चुनाव सह प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। मंच पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे।

बबली पिछले कई दिनों से कांग्रेस से टिकट पाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। हरियाणा कांग्रेस के

प्रभारी दीपक बाबरिया ने बबली को टिकट देने से साफ इंकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। अब बबली टोहना से भाजपा टिकट पाने की कोशिश में हैं। सांगवान हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। उन्होंने सरकारी सेवा से वीआरएस लिया है। वे दादरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सिंह ने कहा कि आज भाजपा का सदस्यता दिवस का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे मौके पर बबली, संजय और सांगवान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए इन सभी का पार्टी में स्वागत है। हरियाणा में भाजपा के पक्ष में हवा चल रही है। हरियाणा के लोग तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है। देब ने कहा जिस विश्वास के साथ देवेंद्र बबली, सुनील और संजय ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है निश्चित ही हमारी पार्टी आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होगी। बड़ौली ने भी भाजपा में शामिल हुए तीनों नेताओं का स्वागत किया। बबली ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से हरियाणा को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य मिला है। हम सब मिलकर तीसरी बार हरियाणा में जनता के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनाएंगे। संजय ने घर वापसी कराने पर सभी नेताओं का आभार जताया। सुनील सांगवान ने भी भाजपा के शीर्ष नेताओं का आभार जताया।

सुप्रीम कोर्ट ने गठित की समिति

एक सप्ताह में बैठक करें, राजनीति न हो

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों की शिकायतों को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को एक सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह समिति गठित की है। इस मौके पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि समिति को चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

हरियाणा सरकार ने दी थी अर्जी

शीर्ष अदालत ने यह समिति हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए गठित की है। इसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेट्स को एक सप्ताह के भीतर हटाने के लिए कहा गया था। बता दें कि इस सीमा पर प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। गौरतलब है कि तब हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। जब 'संयुक्त किसान मोर्चा' (गैर-राजनीतिक) और 'किसान मजदूर मोर्चा' ने घोषणा की थी कि किसान अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी कानून सहित अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे।

आईएसएफ लिमिटेड
CIN: L74899DL1988PLC076648
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 13, केएच. नं. 33/7, गांव अम्बेरहाई, पोल नं. जे967, सेक्टर–19, द्वारका, दिल्ली–110077
E-mail ID: Info@isflimited.in Website: https://isflimited.in/
Phone No.: 0120-3226522, +91 9105535135

36वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्टानुसार बिजनेस का सम्पादन करने के लिये कम्पनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से शनिवार, 28 सितम्बर 2024 को अप. 04.00 बजे आयोजित की जाएगी, कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा इसके परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 और परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08 दिसम्बर 2021 के साथ पठित परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर 2022, सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 (यहां इसके पश्चात सामूहिक रूप से "एमसीए सरकुलर्स" के रूप में संदर्भित) के तहत कम्पनी मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र के साथ पठित भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस और घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों 2015 और परिपत्र सं. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 दिनांक 06 अक्तूबर 2023, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी 2023, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्तूबर 2023 (यहां इसके बाद सामुहिक रूप से सेबी सरकुलर्स के रूप में संदर्भित) (सामुहिक रूप से "सेबी सरकुलर्स" के रूप में संदर्भित) के तहत भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") कॉमन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दे चुका है। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने अथवा www.skylinerta.com पर लाइव वेबकास्ट देखने के योग्य होंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी।
2. सम्बद्ध परिपत्रों के अनुपालन में, 36वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ-साथ बोर्ड की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न अन्य अपेक्षित दस्तावेज 31.08.2024 को उस कम्पनी के सभी सदस्यों / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (एस) को भेजे जाएंगे। एजीएम सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://isflimited.in/ पर भी उपलब्ध होंगे और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात www.skylinerta.com पर भी देखे जा सकते हैं।
3. कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक्स 22 सितम्बर 2024 से 28 सितम्बर 2024 तक (दोनों दिन मिलाकर) वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे।

इलैक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से मतदान :

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 ('दि एक्ट') की धारा 108 के सम्बन्ध में एजीएम के स्थल से अतिरिक्त अन्य स्थान से अपना मत इलैक्ट्रोनिकली देने की सुविधा ('दूरस्थ ई-वोटिंग') इसके सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध करवा रही है तथा बिजनेस एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार सभी प्रस्तावों पर इस प्रकार मतदान के माध्यम से सम्पादित किया जा सकता है :-

I. सदस्य जो अपना मत दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा दे चुके हैं भी बैठक में उपस्थित रह सकते हैं।
II. दूरस्थ ई-वोटिंग 25 सितम्बर 2024 को पूर्वा. 9.00 बजे प्रारम्भ होगी।
III. दूरस्थ ई-वोटिंग 27 सितम्बर 2024 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी।
IV. एजीएम में अथवा इलैक्ट्रिक साधनों द्वारा मतदान के लिये पात्रता सुनिश्चित करने हेतु कट ऑफ तिथि शनिवार 21 सितम्बर 2024 है।
V. पोल के माध्यम से मतदान हेतु सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
VI कोई व्यक्ति, जो कम्पनी के शेयर अर्जन करता है और एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार 21 सितम्बर 2024 के अनुसार शेयरधारण करता है, तो वह कम्पनी के आरटीए info@skylinerta.com को स्थानांतरणों को पंजीकृत करने हेतु मेल भेज सकता है।

ई-मेल पतों को अपडेट और पंजीकृत करवाने का तरीका :-

वीडियो कांफ्रेंसिंग और / अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्पनी की आगामी एजीएम हेतु सदस्य अपना ई-मेल अपडेट अथवा पंजीकृत करने के लिये कम्पनी के आरटीए को वेबसाइट info@skylinerta.com पर अपना ई-मेल भेज सकते हैं।

आग्रह भेजते समय, कृपया विषय को ई-मेल आईडी पंजीकरण को अपडेट करने हेतु रखें। (अपना डीपीआईडी / क्लाइंट आईडी / फोलियो नम्बर का वर्णन करें) और अपने पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति भी भेजें।

कृते आईएसएफ लिमिटेड
हस्ता/-
मनीषा सक्सेना
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. : ए71075

दिनांक : 31.08.2024
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणी :- सदस्य उनके ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को कृपया तत्काल सूचित करें।

पर्ल पोलिमर्स लिमिटेड
PET POLYETHYLENE TEREPHTHALATE JARS BOTTLES
CIN: L25209DL1971PLC005535
पंजी. कार्यालय : ए-97/2, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, भारत
Tel. No.: +91-11-47385300
Email: pearl@pearlpet.net, Website: www.pearlpet.net

वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जानी 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक (''एजीएम'') की सूचना, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर जानकारी

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. कम्पनी की 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') का आयोजन एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार बिजनेसेज का सम्पादन करने के लिए 'एमसीए सरकुलर्स' के अनुसरण में वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 24 सितम्बर 2024 को अप. 4.30 बजे किया जाएगा।
एमसीए सरकुलर्स और सेबी सरकुलर्स के अनुसार, एजीएम की सूचना सहित वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, के साथ-साथ ई-वोटिंग निर्देश और प्रत्यायक सदस्यों को 31 अगस्त 2024 को केवल ई-मेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं, जिनके ई-मेल पते आरटीए/कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.pearlpet.net और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जहां कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीकृत हैं, की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमशः से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014, समय-समय पर संशोधित अनुसार, के नियम 20, और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस और घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों 2015 के नियमन 44 तथा एमसीए सरकुलर्स के प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से एजीएम में ई-वोटिंग और दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।
3. ई-वोटिंग सुविधा एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट किसी अथवा सभी बिजनेसेज पर एजीएम में ई-वोटिंग और दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करते हुये उनके मताधिकार का उपयोग करने के लिए उन सदस्यों को प्रदान की जा रही है जिनके नाम कट ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 17 सितम्बर 2024 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा मेनटेन किए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने हेतु और दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा तथा एजीएम में ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश एजीएम की सूचना में वर्णित है।
4. दूरस्थ ई-वोटिंग के प्रारम्भ और समाप्ति की तिथि और समय :
प्रारम्भ : शनिवार, 21 सितम्बर 2024 (पूर्वा. 9.00 बजे)
समापन : सोमवार, 23 सितम्बर 2024 (अप. 5.00 बजे)
कट ऑफ तिथि 17 सितम्बर 2024 के अनुसार या तो भौतिक रूप में अथवा डिमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयरधारण करने वाले कम्पनी के सदस्य इस अवधि के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।
5. दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल सोमवार 23 सितम्बर 2024 को अप. 5.00 बजे के पश्चात मतदान हेतु अयोग्य बन जाएगा और सदस्यों को उपरोक्त तिथि व समय के पश्चात दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एकबार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा मतदान कर दिया जाता है तो उसको तदोपरांत इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. सदस्य जो एजीएम से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परन्तु वे दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। सदस्य जो दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं कर चुके हैं और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिये पात्र होंगे।
7. कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जन कर चुका है और एजीएम सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर 2024 के अनुसार शेयरधारण करता है, evoting@nsdl.com पर अथवा आरटीए, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को investor@masserv.com पर एक आग्रह भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करते हुये अपना मतदान कर सकता है। यद्यपि, यदि सदस्य ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वे अपना मतदान करने के लिये अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
8. कम्पनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम की तिथि को ई-वोटिंग आयोजित करने की प्रक्रिया के लिए संवीक्षाकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सुश्री रश्मि साहनी, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सैक्रेटरी (सदस्यता सं. एसीएस : 25681; सीपी नं. : 10493) को नियुक्त कर चुकी है, जो बैठक के समापन के 48 घंटे तक पक्ष में और विरोध में दिये गये कुल मतों, यदि कोई हो, की एक समेकित संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट, इसके बाद कम्पनी के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को लिखित में जमा करवाएंगी और इसके पश्चात अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाएंगे।
9. सदस्य जो अपने ई-मेल पते और बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं करवा चुके हैं, से आग्रह किया जाता है कि एक प्रपत्र आईएसआर-1 सहित सभी अपेक्षित दस्तावेज investor@masserv.com पर एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को भेजकर अथवा एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 पर भौतिक मोड के माध्यम से इनको पंजीकृत करवाएं और यदि शेयर डिमैट रूप में धारित हैं, कृपया आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से सम्पर्क करें और अपना ई-मेल पता तथा बैंक अकाउंट विवरण पंजीकृत करवाएं।
10. किसी पूछताछ के मामले में, शेयरधारकों हेतु बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूएस) और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नं. : 022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल करें अथवा श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर एक आग्रह भेजें। इसके अतिरिक्त, सदस्य श्री दीपांशु रस्तोगी, सहायक प्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, कम्पनी के आरटीए से टी-34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 पर सम्पर्क भी कर सकते हैं, फोन नं. 011-26387281/82/83, ई-मेल investor@masserv.com.
11. बुक क्लोजर
कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं डिस्क्लोजर आवश्यकताएं) नियमों 2015 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स, वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु एजीएम के प्रयोजन के लिये बुधवार, 18 सितम्बर 2024 से मंगलवार 24 सितम्बर 2024 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

टिप्पणी :- कृपया समाचार-पत्र दिनांक 30 अगस्त 2024 में प्रकाशित समाचार-पत्र विज्ञापन दिनांक 29 अगस्त 2024 देखें और 53वीं वार्षिक सामान्य बैठक के दिवस के रूप में 'बृहस्पतिवार' की बजाए 'मंगलवार' के रूप में इसको पढ़ें।

कृते पर्ल पोलिमर्स लिमिटेड
हस्ता/-
अमन ठाकरान
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त 2024